न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

तरिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व प्रार्थना संख्या : 76/2025 सोनू बाहेती बनाम तहसीलदार लूणी वगैरह अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8-9-25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीनी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि प्रार्थीनी के कब्जे काश्त की खरीदसुदा कृषि भूमि खेत खसरा नंबर 1/29 रकबा 01 बीघा कृषि भूमि किस्म बारानी द्वितीय वाके ग्राम सालावास, तहसील लूणी में स्थित है जिस पर प्रार्थीनी उक्त कृषि भूमि का उपयोग उपभोग वर्ष 2018 से करती आ रही है। गत कुछ दिनों से अप्रार्थी सख्या 02 यह धमकी दे रहा है कि प्रार्थीनी अपनी उक्त कृषि भूमि का बेचान अपार्थी सख्या 02 या उसके बताये हुए व्यक्ति को बेचान कर देवे। अप्रार्थी सख्या 02 येन केन प्रार्थीनी की कृषि भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर प्रार्थीनी की कृषि भूमि को किसी अन्य रूप में काम में लेकर प्रार्थीनी के स्वामित्व व कब्जे में दखल अंदाजी कर रहा है। यदि प्रार्थीनी की उपरोक्त कृषि भूमि में अप्रार्थी 2 किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करते है तो प्रार्थीनी को होने वाली क्षति का आंकलन नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रार्थीनी के हक में अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीगण स्वंय प्रार्थीनी की उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे ना ही किसी अन्य से करावें एवं प्रार्थीनी के हक हिस्से में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करें। प्रार्थना पत्र कार्यालय समय में दर्ज रजिस्टर किया गया और प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थीनी की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर दिनांक 25.07.2025 को अन्तरिम स्थगन आदेश दिया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिली हेतु भेजे जाकर तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता सुनील बिस्सा ने अपना वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने जवाब में कथन किया कि वह प्रोपट्टी का व्यवसाय करता है जिसके चलते अप्रार्थी संख्या 02 के पास एक ग्राहक प्रार्थीनी के कब्जे काश्त की खरीदसुदा कृषि भूमि को खरीदने की इच्छा जाहिर करने पर प्रार्थीनी के पति राजेन्द्र बाहेती का परिचित होने की वजह से अप्रार्थी संख्या 02 ने प्रार्थीनी व उसके पति को उक्त कृर्षि भूमि को बेचान करने का प्रस्ताव दिया जिस पर प्रार्थीनी और उसके पति द्वारा बेचान करने का साफ मना कर दिया परन्तु ग्राहक द्वारा बार बार खरीदने की इच्छा जाहिर करने पर प्रार्थीनी और उसके पत्ति को बेचान करने का कहने की	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

वजह से अप्रार्थी संख्या 02 पर गलतफहमी व संदेह करने की वजह से यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जबकि अप्रार्थी संख्या 02 की मंशा व इरादा कभी भी प्रार्थीनी की खरीद सुदा कृषि भूमि को नुकसान पहुचाने, जबरन कब्जा करने या निर्माण करने एवं प्रार्थीया के स्वामित्व व कब्जे में दखल अंदाजी करने की मंशा नही रही है। ऐसी परिस्थितियों में में मात्र प्रार्थीनी और उसके पति को अप्रार्थी संख्या 2 पर गलतफहमी व संदेह होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे संव्यय खारिज फरमाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्षों की सुनी गयी बहस पर मनन किया गया। वादपत्र के संलग्न जमाबंदी से स्पष्ट है कि प्रार्थीनी वादग्रस्त भूमि का रेकर्डेड सहखातेदार है। प्रार्थीनी द्वारा बहस में वादग्रस्त भूमि का उपयोग–उपभोग करना बताया है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपने जवाब में यह स्वीकार किया कि एक ग्राहक द्वारा प्रार्थीनी के कब्जे काश्त की खरीदसुदा कृषि भूमि को खरीदने की इच्छा जाहिर की है जबकि प्रार्थीनी किसी अन्य व्यक्ति को भूमि का बेचान करने इच्छुक नही है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि एक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की सुरक्षा हेतु स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार है। उपरोक्त विवेचन एव विशलेषण के आधार पर अस्थाई निशेधाज्ञा के आवश्यक बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति प्रार्थीनी के पक्ष में साबित होने से प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर प्रार्थीनी के प्रार्थना में जारी अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 25.07.2025 को ताफैसला मूल वाद 95/2025 के निस्तारण तक पुखता किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

पुखराज कांसोटिया आर ए एस
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी